भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CM 870097

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुमति पत्र

यह अनुमति पत्र आज दिनांक 18 माह 15 वर्ष 2016 को नगर निगम, कानुपर नगर (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू (1) (ग) व नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 4 के अनुसार एक स्थानीय निकाय) मोतीझील कानपुर नगर उत्तर प्रदेश द्वारा नगर आयुक्त (जिस शब्द में नगर निगम के स्थान पर स्थापन स्थानीय निकाय या प्रशासक या विधि द्वारा सृजित संस्था भी सम्मिलित माने जायें) प्रथमपक्ष

एवं

.... द्वितीयपक्ष

के मध्य स्वीकृत, निष्पादित, व हस्ताक्षरित किया गया।

विदित हो कि :–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में है, में संविधान में बयालीसवां संशोधन कर पर्यावरण के संरक्षण से सम्बन्धित प्रावधान इसमें अन्तः स्थापित किया गया, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अध्याय में अनुच्छेद 48–क के रूप में नया प्रावधान निम्नवत् है :–

48–क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा :–

राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

इस प्रावधान के अतिरिक्त, अनुच्छेद 51–क के रूप में 'मूल कर्तव्य' के अध्याय को बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा अन्तः स्थापित किया गया अनुच्छेद 51–क का उपखण्ड (छ) महत्वपूर्ण है, जो निम्नलिखित प्रावधान करता है "भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह –

(छ) "प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवन हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें।"

प्रकृति ने सम्पूर्ण जीवमण्डल के लिए स्थल जल, और वायु के रूप में एक विस्तृत आवरण निर्मित किया है, जिसे हम पर्यावरण की संज्ञा देते हैं। पर्यावरण की संतुलन के लिए प्रकृति ने कुछ नियम भी निर्धारित किये हैं किन्तु जबसे इस पृथ्वी पर मनुष्य का अवतरण हुआ तब से पर्यावरण सन्तुलन के लिए प्राकृतिक नियमों का खुला उल्लंघन हुआ और निरन्तर प्रकृति की अनदेखी के कारण आज हमारे पर्यावरण को अनेक समस्याओं से जूझना पडत्र रहा है। वायु, जल, भूमि व ध्वनि प्रदूषण से सम्पूर्ण वातावरण प्रभावित हुआ है। विश्वव्यापी तापमान वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) हो रही है। क्लोरोफार्म, कार्बन डाइ–आक्साइड, मीथेन, ईथेन, क्लोरीन, सल्फर डाई–आक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड जैसी विषाक्त तत्व वायु मण्डल को प्रदूषित कर रही है। यह ज्ञातव्य है कि वायुमण्डल में छः अरब टन कार्बन जाता है। ग्रीन हाउस गैसों से तापमान में वृद्धि हो रही है। चीन और भारत में तीव्र गति से औद्योगिक विकास हो रहा है। इससे ग्रीन हाउस गैसों के कुल का 16.5 उपरोक्त दोनों देशों द्वारा उत्सृजित किया जा रहा है। हमें उन रोगों की अनुभूति हो रही है जो प्रवृत्ति में आज अत्यन्त खतरनाक है। चर्म उद्योग द्वारा गन्दे पदार्थ रोड के किनारे फेंक देने से प्रदूषण की भयानक समस्या फैल रही हैं चर्म उद्योग में 170 प्रकार के रसायनों का प्रयोग होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड, लाइम, सोडियम सल्फेट, क्लोरियम सल्फेट, क्रोमियम, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे रसायन विद्यमान होते हैं। तेल मिल की चिमनी से निकलने वाले धुएं से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घट रही है, मनुष्यों का भोजन एवं शयन दोनों मुश्किल हो रहा है। टी0बी0, कुष्ठ रोग व पीलिया बढ़ रहे हैं। प्रदूषित जल से पीलिया, पेचिश और टाईफाइड जैसे रोग होते है। मोटर कारों का धुआं श्वसन क्रिया के माध्यम से फेफड़े में प्रवेश करता है और हृदय रोग सम्बन्धी बीमारियां उत्पन्न करता है।

कारखानों का कूड़ा कचरा जालशयों और नदियों में फेंकने से जल प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित जल से पीलिया, पेचिश और टाईफाइड जैसे रोग होते हैं। नगरों द्वारा कूड़ा करकट फेंक कर भूति प्रदूषित की जा रही है। विशाल स्टीमर व जहाज अन्तर्दहन द्वारा जहरीला धुआं पानी में छोड़ते हैं। वायु और जल जीवन की रक्षा के लिए प्रकृति की सर्वाधिक आवश्यक भेंट है। सूर्य का प्रचूर रूप से चमकना व पर्याप्त वर्षा प्रकृति की उत्पादक शक्ति को क्रियाशील बनाये रखते हैं। पेड़ों से व जड़ी बूटियों से शुद्ध वायु की वृद्धि होती है। विज्ञान में वायु को पृथ्वी के चारों ओर वातावरण का निर्माण करने वाला, दिखाई न देने वाला, स्वाद रहित तथा गन्धहीन गैसों का मिश्रण माना गया है। वायु में आक्सीजन भी होती है। वायुमण्डल में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होने वाली एक रंगहीन, गन्धहीन तथा स्वादहीन गैस जो वायुमण्डल का लगभग 20 प्रतिशत भाग बनाती है और सांस लेने (श्वसन क्रिया) हेतु अत्यन्त आवश्यक होती है। सभ्य समाज के प्रत्येक प्राणी को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा भव्य वातावरण में आवास, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु व स्वच्छ थल व ऊष्मा, मनमोहक वातावरण में शारीरिक, मस्तिष्कीय व बौद्धिक विकास, भव्य वातावरण में जीवित रहने के लिए खुला स्थान, बाग–बगीचे, पेड़–पौधे, फल–फूल, बेलें व लताएं उचित प्रकाश, स्वच्छ वायु व उचित स्वच्छता व आक्सीजन की आवश्यकता होती है। स्थानीय निकाय के अनिवार्य कर्तव्यों में धारा 114 (41) के अनुसार नगरीय सुख–सुविधाओं की जैसे पार्क, उद्यान एवं खेल के मैदानों की व्यवस्था करना भी शामिल है। प्रदूषित जल, थल, ऊष्मा, गगन व समीर से परित्राण हेतु योगाभ्यास अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यायाम माना जाता है। पार्क के हरे–भरे पेड़, पौधे, लताएं, हरी घास, फूल आदि से आक्सीजन की प्राप्ति होती है। आक्सीजन मनुष्य जीवन हेतु अत्यन्त आवश्यक है। आक्सीजन की प्राप्ति हेतु पार्कों के रख–रखाव, उन्नयन, परिवर्धन व परिमार्जन अत्यन्त आवश्यक है।

पार्क की महत्ता का अनुभव कर उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्क, खेलकूद के स्थल व खुले स्थान (के प्रतिरक्षण व विनियमन) अधिनियम 1975 दिनांक 01.02.1995 से लागू कर दिया है।

मानव सेवा हेतु अनेकानेक व्यक्ति, संस्थाएं, संघ, फर्म, कम्पनिया एवं ट्रस्ट (न्यास) पार्कों में पेंड–पौधे, फल–फूल, लताएं, बेलें, बाग–बगीचों का उन्नयन, प्रतिरक्षण, परिवर्धन एवं आकर्षक बनाने हेतु आगे आ रहे हैं। उपरोक्त संगठनों द्वारा पार्क में उन्नयन कर मानव सेवा के दृष्टिकोण से नगर निगम यह उचित एवं समीचीन समझती है कि उन्हें आक्सीजन वृद्धि हेतु एवं नागरिकों, स्त्री, पुरुष, बच्चों के कल्याण के लिए एक अवसर प्रदान किया जाये जिससे पार्कों की महत्ता बढ़े एवं आक्सीजन प्राप्त हो सके। पार्क का आनन्द प्राप्त कर नागरिक अपनी चिन्ताएं दूर कर सकें।

द्वितीयपक्ष द्वारा उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, प्रथमपक्ष ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 451 में प्रदत्त अनुज्ञप्तियां और लिखित अनुज्ञाएं, उन्हें निलम्बित करने या उनका प्रतिसंहरण करने तथा शुल्क आदि लगाये जाने सम्बन्धी शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव स्वीकार पारस्परिक सम्बन्धों एवं सामंजस्यों के निर्वाह व मधुर सम्बन्ध बनाए रख कर जन कल्याणार्थ आवश्यकीय

कर्तव्यों के अनुपालन हेतु अनुमति पत्र लिखना लिखाना, निष्पादित करना व कराना हस्ताक्षरित करना व कराना उचित समझा। अतः यह अनुमति पत्र निम्न शर्तों पर लिखा गया :–

1. यह कि अनुमति पत्र में प्रदत्त अनुमति के अनुपालन में द्वितीय पक्ष नगर निगम, कानपुर नगर का पार्क निम्न शीर्षक देकर उन्नयन, परिवर्धन, परिमार्जन जनकल्याणार्थ सद्भावी प्रक्रिया से करेगा :– .... जय श्री राम मित्र सेवा समिति ....

2. यह अनुमति पत्र तिथि ...18..... माह ...05.... वर्ष ...2016..... से लागू माना जायेगा।

3. रखरखाव का यह अधिकार प्रथम बार ...दस... वर्ष के लिये प्रदत्त किया जा रहा है। रखरखाव एवं अन्य शर्तों का पालन किये जाने की स्थिति में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि पुनः दो–दो वर्ष के लिये नवीनीकरण कर सकते हैं।

4. नगर निगम, कानपुर नगर में निहित उपरोक्त पार्क के सम्बन्ध में **द्वितीयपक्ष यह स्वीकार करता है कि प्रथमपक्ष को उत्तर प्रदेश पार्क खेल सथल व खेल मैदान (प्रतिरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम 1975 की धारा 7 के अनुसार पार्कों के स्वच्छ एवं उचित दशा से रख–रखाव का ही अधिकार प्राप्त है। उसे पार्क का अन्तरण या पार्क के स्वरूप को बदलने की अनुमति देने की शक्ति नहीं है क्योंकि नगर निगम में निहित पार्क जनता की धरोहर है। इसलिए पार्क का स्वत्व व अध्यासन नगर निगम में ही निहित बना रहेगा।**

5. पार्क के प्रबन्धन, परिवर्धन व जनहित में उन्नयन हेतु द्वितीयपक्ष का सम्पर्क एवं पत्राचार हेतु पता निम्नवत् है :– सूरज नारायण पाण्डेय .... कानपुर, फोन नं0........ ....मोबाइल नं0–9696656768 ईमेल Suraj90.Pandey@gmail.Com

6. प्रथमपक्ष नगर निगम कानपुर नगर से अनुमति पत्राचार व निर्देश हेतु निम्न पते पर सम्पर्क किया जा सकता है :–

अधिकारी का नाम .... पद .... नगर निगम, कानपुर नगर – 208002, फोन नं0............................ मोबाइल नं0..............................

7. यह कि द्वितीयपक्ष पार्क का स्थलीय चित्रण कर एक मानचित्र तैयार करेगा और प्रस्तावित कार्यों को स्थलीय मानचित्र में दर्शाते हुए मानचित्र में ही ऐसी सूची प्रस्तावित कार्यों की लिखेगा जिसे प्रस्तावित कार्यों का ज्ञान हो सके। उपरोक्त स्थलीय चित्रण के अनुसार कार्य करने हेतु द्वितीयपक्ष प्रथमपक्ष से मानचित्र की एक प्रतिलिपि एवं विवरण सहित वर्णन प्रथमपक्ष के अवलोकनार्थ, अनुशीलन, परिशीलन विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। प्रस्तावित स्थलीय मानचित्र के अनुसार पार्क में प्रस्तावित कार्यों के करने की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त उन कार्यों का क्रियान्वयन करेगा।

8. यह कि प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को पार्क में परिवर्धन, उन्नयन व श्वसन क्रिया हेतु आक्सीजन व बच्चों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि, प्रदूषण से होने वाली बीमारियां, पशु–पक्षियों का ज्ञान, बागवानी, फल–फूल, पौधे, लताएं आदि हेतु निम्न अनुमति प्रदान करती है :–

(क) द्वितीयपक्ष व उसके अधिकृत व्यक्तियों द्वारा पार्क में प्रतिदिन प्रवेश व पार्क के उन्नयन व परिवर्धन में योगदान।

(ख) पेड़–पौधों, बेले व लताएं, फल व फूल व आदि की रखवाली, सिंचाई, उनकी उत्पत्ति एवं आकर्षक आकृति बनाने हेतु कार्य करना।

(ग) पेड़, पौधे, बेल, लताएं, फल–फूल, आदि के नाम और उनके गुण का संक्षिप्त विवरण।

(घ) पार्क की सीमा की सफाई, पुताई सीमा से पार्क के अन्दर कुछ दूरी पर टहलने के लिए खड़ंजा की सड़क का निर्माण करना, हरी घास उगाना, क्यारी, गमले व गमलों में फल–फूल के पौधे लगाने का कार्य करना उनकी सिंचाई करना व पेड़–पौधे, लताएं, बेले आदि के गिरे पत्तों की सफाई करना और उनसे खाद्य बनाने का प्रयत्न करना।

(ङ) पार्क में दौड़ने टहलने, बैठने व सम्मर्सिबल पम्प या हैण्डपम्प से सिंचाई एवं पीने के पानी की व्यवस्था करना, विद्युत विभाग से विद्युत मीटर प्राप्त कर विद्युत प्रसार सम्बन्धी व्यवस्था करना व विद्युत व्यय व अन्य व्यय स्वयं वहन करना।

(छ) हरी घास विछाकर योगासन क्रिया करना एवं क्रिया करने हेतु उपाय करना।

(ज) पार्क के रख–रखाव हेतु न्यूनतम .... माली की व्यवस्था संस्था से अनिवार्य रूप से करनी होगी।

9. द्वितीयपक्ष को निम्न कार्य करने से रोका (निरूद्ध) किया जा रहा है :–

(क) पार्क की परिधि में कोयला, चूना, राखी, रसायन, विस्फोटक आदि पदार्थ रखना या अग्नेयास्त्रों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से छिपाना, वर्जित होगा।

(ख) पार्क के स्वरूप, क्षेत्रफल, पार्क की सीमाएं, पार्क की भूमि को यथावत पार्क की भांति प्रयोग करने के उद्देश्य का विनाश करना।

(ग) पार्क का प्रयोग धार्मिक व राजनैतिक एवं किसी अन्य संस्था के प्रचार–प्रसार, मूर्तियों की स्थापना, धार्मिक स्थान का निर्माण, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा व देवी देवताओं की स्थापना एवं ऐसे कार्य जिससे पार्क का प्रयोग व उपभोग पार्क में न हो सके एवं सार्वजनिक जनता के द्वारा पार्क के उपभोग में बाधा हो।

(घ) पार्क में छायादार बड़े पेड़ों का काटना, सूखी लकड़ी इकट्ठा करना, बेचना, लकड़ी का व्यापार करना व लकड़ी की मदद से कोई निर्माण करना जो दुकान या भवन का स्वरूप ले सके।

(ड़) पार्क में साइकिल, स्कूटर, मोटर साईकिल, कार, टैम्पो, टैक्सियों आदि का खड़ा करना।

(च) नगर आयुक्त की अनुमति के बिना पार्क को विज्ञापन एवं ग्लोसाइन हेतु प्रयोग करना व किसी व्यवसायिक संस्थान, फर्म, कम्पनी के बोर्ड लगाकर किसी सूचना का प्रसारण व उसके गुडविल की वृद्धि करना, कुआं या गड्ढे खोदना या किसी स्थल को कीचड़ स्थल बनाये रखना।

(छ) पार्क की भूमि का विवाह समारोह हेतु प्रयोग करना, प्रदर्शनी लगाना, जलसों, रैली व पार्क के अन्दर किसी सभा के आयोजन करने की अनुमति देना।

(ज) पार्क की भूमि का आवासीय या अनावासीय या व्यापारिक उद्देश्य हेतु प्रयोग करना या किसी व्यक्ति को भारत की संप्रभुता, एकता व अखण्डता के विनाश हेतु व्याख्यान देने की अनुमति देना, समरसता और समान भ्रातत्व की भावना को भड़काने सम्बन्धी बयान, प्रदर्शन, विज्ञापन व कार्टून बनाकर प्रदर्शित करना, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव करना या कुप्रथाओं और स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध व्याख्यान देना चित्रण करना या अभिवाचन करना।

(झ) भारत की गौरवशाली संस्कृति का उल्लंघन करवाना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों द्वारा देशहित, जनहित का विनाश करना।

10. द्वितीयपक्ष यदि पार्क का निरन्तर रख–रखाव न कर सके, पार्क की घास हरी–भरी न रख सके, आक्सीजन सम्बन्धी पेड़–पौधे, फल–फूल, लताएं का परिवर्धन व परिमार्जन न रख सके और ऐसा व्यतिक्रम दो माह से अधिक अवधि तक जारी रहे तो द्वितीयपक्ष की अनुमति समाप्त कर दी जायेगी। इस अनुमति की समस्त धाराएं निष्प्रभावी हो जायेगी ओर द्वितीयपक्ष द्वारा उल्लंघन करने पर व्यतिक्रम के परिप्रेक्ष्य में, सार्वजनिक हित के विनाश होने के दृष्टिकोण से एवं पार्क में सभी पेड़–पौधे, वनस्पति, फल–फूल, लताएं आदि के सूख जाने के दृष्टिकोण से प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष से क्षतिपूर्ति करा सकता जो 25000/– रूपये से लेकर 50000/– रूपये तक ह्रास के दृष्टिकोण से सुनिश्चित किया जा सकता है एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 503 लगायत 530 अध्याय 21 के आधार पर वसूला जा सकता है।

11. यह कि द्वितीयपक्ष न तो पार्क का साखान रूप से परिवर्तित करेगा और न ही किसी को परिवर्तित करने की अनुमति देगा। पार्क में संरचनात्मक निर्माण या परिवर्तन न करेगा एवं पार्क की उपयोगिता विनष्ट न होने देगा एवं अवैध या अनैतिक प्रयोजनों के निमित्त पार्क का प्रयोग न होने देगा।

12. यह कि द्वितीयपक्ष अपने दायित्व का स्वतः निर्वाह करेगा उसका अन्तरण परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नहीं करेगा और यदि द्वितीयपक्ष दायित्व निर्वाह का दोषी पाया जावे या पार्क का प्रबंधन किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर दे तो यह अनुमति समाप्त मानी जावेगी।

13. प्रबन्धक का दायित्व :–

पार्क के प्रबन्धन का दायित्व द्वितीयपक्ष का रहेगा और द्वितीयपक्ष प्रयत्न करे कि पार्क में घूमने वालों पर अवांछित तत्वों का कोई अत्याचार न हो और होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट करायी जाये एवं नगर निगम के अधिकृत प्राधिकारी को लिखित सूचना दी जाये।

14. उत्तरदायित्व की आर्थिक बचत हेतु बीमा कराना :–

द्वितीयपक्ष का यह दायित्व होगा कि वह निश्चित धनराशि का बीमा करा ले जिससे किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक की क्षति के एवज में कोई क्षतिपूर्ति करना पड़े व उसका भुगतान कर सके।

15. दैवी आपदाएं :–

उभयपक्ष आंधी, तूफान, भूकम्प, बारिश, आक्रमण, विद्रोह आदि में हुई क्षति यदि ईश्वरीय आपदा के रूप में हुई हो तो क्षतिपूर्ति के उत्तरदायी नहीं होंगे किन्तु यदि दुर्भावना, लापरवाही या इरादातन अपराध करने की

नियत से कोई कृत्य किया गया है उसके लिए द्वितीयपक्ष या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति क्षतिपूर्ति के उत्तरदायित्व होंगे।

16. निरीक्षण व निर्देश का अधिकार :-
प्रथमपक्ष व उसके अधिकृत अधिकारियों को पार्क का प्रत्येक समय निरीक्षण करने व जनहित सुरक्षा एवं अनुमति सम्बन्धी उचित आदेश प्रसारित करने का अधिकार रहेगा।

17. अधिनियम, नियम, निर्देशों एवं शासनादेशों के पालन का दायित्व :-
द्वितीयपक्ष के द्वारा केन्द्रीय व प्रान्तीय अधिनियमों की सुसंगत धाराएं नियम, निर्देश एवं शासनादेश एवं प्रथमपक्ष द्वारा प्रसारित निर्देशों एवं सुझावों का पालन करने व आवश्यकता अनुसार क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व होगा। द्वितीयपक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, स्थानीय न्यायालयों, सक्षम अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकरण के आदेशों, निषेधाज्ञाओं, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य रहेगा। उल्लंघन की दशा में वह फलतः परिणाम व क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी होगा।

18. अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यय के वहन करने का दायित्व :-
अनुमति पत्र के निष्पादन में सामान्य स्टाम्प, टंकन, कम्प्यूटर टाइप व्यय, पंजीकरण हेतु व्यय एवं विधिक परामर्श हेतु व्यय द्वितीयपक्ष के उत्तरदायित्व पर होगा।

19. द्वितीयपक्ष के द्वारा पार्क से सम्भावित आय की अनुज्ञा :-
द्वितीयपक्ष पार्क मे गमले में पौधे, फूल लगाने के बेचकर, लताओं व पेड़ों को काट कर उनसे पुनः लताएं व पेड़ पैदा करने हेतु अंश बेचकर या फूल बेचकर एवं प्रवेश शुल्क यथा सम्भव आरोपित धन अर्जित कर सकता है किन्तु प्रवेश शुल्क सम्बन्धी लिखित अनुज्ञा आरोपित करने के पूर्व प्रथमपक्ष से लिखित रूप से प्राप्त करेगा।

20. पंच निर्णय सम्बन्धी प्रक्रिया :-
अनुमति पत्र में वर्णित किसी विषय के विवाद के उत्पन्न होने पर विवाद का निस्तारण करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर नगर में निहित रहेगा। नगर आयुक्त स्वतः अथवा सक्षम अधिकारी नियुक्त कर फैसला करा सकते है। पंच फैसला सम्बन्धी सारी प्रक्रिया नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा नगर निगम परिसर मोतीझील कानपुर नगर में किया जायेगा और नगर आयुक्त का पंच फैसला नगर निगम एवं द्वितीयपक्ष पर बाध्य माना जावेगा।

21. यह कि द्वितीयपक्ष का पार्क की चल–अचल सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार, हित, लगाव नहीं रहेगा। द्वितीयपक्ष के हित में पार्क के प्रबन्धन, परिवर्धन एवं उन्नयन का अधिकार अनुमति की समय सीमा के रहने तक या जनहित सम्बन्धी योगदान के चलते रहने तक माना जावेगा। अनुमति समाप्त होने पर द्वितीयपक्ष के पार्क के सम्बन्ध कोई हित, अधिकार, लगाव नहीं माना जावेगा।

22. द्वितीयपक्ष पार्क के प्रबन्धन, परिवर्धन व उन्नयन में जो भी व्यय करेगा, मानव से श्रम सम्बन्धी कार्य करायेगा, पेड़–पौधे, फल–फूल, बेलें, लताएं एवं सीमा दीवार व संरचनात्मक कार्य करेगा उसके निमित्त व्यय धन के अदा करने का दायित्व द्वितीयपक्ष पर रहेगा।

23. द्वितीयपक्ष के कृत्यों, व्यवहारों व आचरण से यदि प्रथमपक्ष के हित का विनाश हो और प्रथमपक्ष को क्षति के रूप में कोई धन देना पड़े या क्षतिपूर्ति करना पड़े तो ऐसे धन या क्षतिपूर्ति की धनराशि द्वितीयपक्ष या उसके सदस्यों की चल–अचल सम्पत्ति से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

24. उभयपक्ष, व्यक्तिगत या पंजीकृत डाक द्वारा अनुमति पत्र में लिखित संविदा 15 दिन के अन्तराल की नोटिस देकर समाप्त कर सकते हैं।

25. यदि द्वितीयपक्ष को अनुमति पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त किसी कृत्य को करना हो तो वह नगर निगम की ओर से अधिकृत अधिकारी की बिना लिखित अनुमति के करने का अधिकारी न होगा।

26. नगर निगम के द्वारा द्वितीयपक्ष की अनुमति न्यायालय के आदेश, निर्देश, डिक्री, निषेधाज्ञा के अनुपालन, शासनादेश, विधि, नियम, उपनियम व नगर निगम की स्वतः की आवश्यकता अथवा नगर निगम के द्वारा उपरोक्त के अनुपालन हेतु आवश्यकता हो तो द्वितीयपक्ष के हित में प्रभावी अनुमति समाप्त की जा सकती है।

27. यह कि द्वितीयपक्ष यह स्वीकार करता है कि पार्क के अस्तित्व, पार्क की भूमि, पार्क के पेड़–पौधे, फल–फूल, बेलें, लताएं, पार्क की सीमा व पार्क की सीमा में विज्ञापन सम्बन्धी कोई अधिकार इस अनुमति पत्र के द्वारा उसे नहीं प्राप्त हुआ है। पार्क की अनुमति के आधार पर द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार के

अधिकार, हित, लगाव, निदान आदि के लिए न्यायालय जाने के लिए विधिक अधिकार न होगा और यदि द्वितीयपक्ष ऐसा करे तो वह प्रथमपक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा करने के समस्त हर्जे–खर्चे का उत्तरदायी होगा।

प्रथमपक्ष 18/05/...
उद्यान अधीक्षक
नगर निगम कानपुर

द्वितीयपक्ष

नगर निगम, कानपुर।

साक्षी संख्या 1 : उमापति शुक्ला 705 बर्रा-2 कानपुर mob. 8004522609

साक्षी संख्या 2 : विजय सिंह यादव E.W.S 690 बर्रा-2 कानपुर mob!- 9696630620